न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा RAS
प्रार्थना पत्र संख्या :– 69/2025 दायर तारीख :– 11.08.2025

1. प्रहलाद सहाय पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी मोहन का बास खेडी मिल्क

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर (राज.)।
2. कैलाश पुत्र मानाराम
3. गोपाल लाल पुत्र मानाराम
4. जगदीश प्रसाद पुत्र मानाराम
5. मोहनलाल पुत्र मानाराम
6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मानाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र मगंलाराम
8. नरसीलाल पुत्र मंगलाराम

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री प्रभुदयाल डिसानिया अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुकेश कुमार बगडिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2से 8
राज पेरोकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ऐक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 21.11.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम मोहन का बास तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर का निवासी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुंक्त पुश्तैनी भूमि का विभाजन दिनांक 16.01.1987 को किया जाकर प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 7,8 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 को अलग अलग खसरा नम्बर आवंटित किये हुए वर्तमान में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 7,8 की भूमि की खाता संख्या 103 पुराना खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 415/220 रकबा 2.0106 हैक्टैयर भूमि किस्म बारानी2, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3161 किस्म जाव 1, चाही 1 ग्राम मोहन का बास पटवार हल्का खेडी मिल्क तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की वर्तमान में खसरा संख्या 416/220 वाके ग्राम मोहन का बास भू0अ0नि0 पचकोडिया तहसील कि0 रेनवाल में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7,8 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के मध्य सहमति से विभाजन हो जाने के बाद राजस्व नक्शा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7,8 के खसरा नम्बर 415/220 एंव खसरा नम्बर 177 की तरमीम भूलवश से मौके पर काबिज काश्त स्थिति से भिन्न जगह पर अंकित हो रखा है। जिस कारण नक्शें में प्रार्थी की भूमि का रकबा कम दर्शित होता है। जबकि प्रार्थी का कब्जा मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 द्वारा संभलाई गई जगह पर ही है परन्तु प्रार्थी की आराजी का राजस्व रिकोर्ड में नक्शा मौके की स्थिति से भिन्न जगह पर तरमीम हो जाने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के मध्य विवाद होता रहता है। क्यों कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 416/220 का रकबा मौके व वर्तमान स्थिति से बडा दर्शित होता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 415/220 एंव खसरा नम्बर 177 के नक्शें की राजस्व रिकोर्ड में गलत जगह तरमीम हो जाने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 20.07.2025 को हुई जब प्रार्थी ने आराजी पटवारी हल्का से नक्शे की नकल प्राप्त की । प्रार्थी की आराजी का नक्शा

उपखण्ड अधिकारी

मौके पर काबिज स्थान से अलग जगह पर तरमीम हो रखा है। प्रार्थी के सही खसरा नम्बर 415/220 एंव खसरा नम्बर 177 के नक्शें में सही करवाने के लिए कई बार कहा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 बहाने बाजी बनाते रहे लेकिन उक्त खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस को राजस्व रिकोर्ड में मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार दुरूस्त कर सही जगह पर नक्शें में तरमीम नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय से प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर के नक्शें को राजस्व रिकोर्ड में मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार दुरूस्तीकरण करवाने का आदेश लाने को कहा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के सक्षम प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8की ओर से वकील मुकेश कुमार बगडिया उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि वाद ग्रस्त खसरा नम्बर की पटवारी हल्का से रिपोर्ट बनवाई जाकर रिपोर्ट के आधार पर तरमीम कर दी जाती है तो कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार कि0 रेनवाल से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें सलंग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3161 है0 खरा नम्बर 415/220 रकबा 2.0106 है0 में वादी व प्रतिवादी 7 व 8 समान हिस्से में प्रत्येंक का हिस्सा 1/3 में दर्ज रिकोर्ड है। खसरा नम्बर 416/220 रकबा 1.4289 है, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.9990 है0, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.5058 है0 में प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 प्रत्येक का हिस्सा 1/5 में दर्ज रिकोर्ड है। नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 16.01.1987 को विभाजन होने पर खसरा नम्बर 177 मूल व खसरा नम्बर 220/1/3(वर्तमान में खसरा नम्बर 415/220) रकबा 7–19 बीघा प्रार्थी व अप्रार्थीगण 7 व 8 के पिता मंगला पुत्र गणेश जाति जाट के हिस्से में आया। खसरा नम्बर 176मूल , 178 मूल व खसरा नम्बर 220/1/4 (वर्तमान में खसरा नम्बर 416/220) रकबा 5–13 बीघा प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 के पिता माना पुत्र गणेश जाति जाट के हिस्से में आया। वादी व प्रतिवादीगण 7 व 8 के खसरा नम्बर 415/220 रकबा 2.0106 है0 को राजस्व नक्शें में नापने पर लगभग 1.50 है0 क्षेत्रफल ही दर्शित करता है अर्थात लगभग 0.50 है0 क्षेत्रफल कम है। प्रतिवादीगण 2 से 6 के खसरा नम्बर 416/220 रकबा 1.4280 है0 को राजस्व नक्शें में नापने पर लगभग 1.92 है क्षेत्रफल दर्शित करता है अर्थात लगभग 0.50 है. क्षेत्रफल ज्यादा है। वादी व प्रतिवादीगण 7 व 8 के हिस्से में खसरा नम्बर 177 रकबा 0.1361 है0 है।राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 7 व 8 के खसरा नम्बर 177 मूल सम्पूर्ण हिस्से में दर्ज है एंव प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 के खसरा नम्बर 176 व 178 मूल ही दर्ज रिकोर्ड है। जबकि मौका स्थिति व सलंग्न नजरी नक्शानुसार वादी व प्रतिवादीगण 7 व 8 खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3161 है0में से 0.2424 है.(लगभग) भूमि, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.9990 है0 में से 0.9750 है (लगभग) भूमि व खसरा नम्बर 178 रकबा 0.5058 है0 में से 0.4561 है. (लगभग) भूमि पर काबिज काश्त है। सलंग्न फर्द मौका किया है जिसके अनुसार खसरा नंबर 415/220, 177 मौके पर स्थिति है वह सही है।
3. प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 415/220, 177 वाके ग्राम मोहन का बास की मौके के अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया।
4. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल जमाबन्दी , नामान्तकरण की नकले पेश की।
5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एंव प्रार्थी की बहस पर मनन किया। यहा पर सुसंगत विधिक प्रावधान राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल